यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-IV, राज्य कर, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-IV, राज्य कर, काशीपुर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि भूषण (व.ले.प.), श्री नीरज कुमार एवं श्री सिराज हुसैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.12.2018 से 24.12.2018 तक श्री एन.के.सिन्हा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि भूषण (व.ले.प), श्री अजय मिश्रा एवं श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.01.2018 से 29.01.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व एवं व्यय हेतु माह 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	5514.75
2016-17	6614.96
2017-18	3391.49

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थपना		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	-	-	-	-	-	-
2016-17				शून्य				
2017-18	-	-	-	-	-	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक (वित्त) आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **Stone cresar, Rice Mill** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-IV, राज्य कर, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग – 2(ब)

प्रस्तर स-01 अंकगणितीय त्रुटि के कारण कर का अनारोपण ₹7.02 लाख |

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी, व्यौव्हारी द्वारा प्रस्तुत विवरणियो, लेखापुस्तकों ओर अन्य दस्तावेजो का परिक्षण कर संतुष्ट होने की दशा में लिखित आदेश द्वारा व्यौवहारी पर कर निर्धारित करेगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) खण्ड-4 राज्यकर, काशीपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में निम्नांकित कमियां पाई गई :-

1. व्यौव्हारी सर्वश्री चौधरी ट्रेडर्स, बाजपुर कर निर्धारण वर्ष- 2015-16 द्वारा संगत वर्ष में रिफाइंड आयल, नमकीन आदि की बिक्री ₹ 5601406/- तथा कॉस्मेटिक, कॉलगेट की बिक्री ₹23460325/- दिखाई गई थी परन्तु कर निर्धारण आदेश में रिफाइंड आयल, नमकीन आदि की बिक्री ₹ 6507180/- तथा कोस्मटिक, कॉलगेट आदि की बिक्री ₹ 18417979/- दर्शाते हुए कर आरोपित किया गया था जो की व्यौव्हारी द्वारा प्रदर्शित बिक्री मूल्य से भिन्न था इस प्रकार दोनों वस्तुओ की वास्तविक बिक्री पर निम्नानुसार कर आरोपणीय था :-

क्रमांक	वस्तु का नाम	धनराशि (₹ में)	दर	कर(₹ में)
1.	रिफाइंड आयल, नमकीन	5601406	5 %	280070
2.	कोस्मटिक, कॉलगेट	23460325	13.5 %	3167144
				3447214

इस प्रकार उपरोक्त वस्तुओ की वास्तविक बिक्री पर ₹ 34,47,214/- का कर आरोपणीय था किन्तु कर निर्धारण आदेश के अनुसार ₹ 28,11,786/- का कर आरोपित किया गया था| इस प्रकार ₹ 6,35,428/-(3447214-2811786)का अतिरिक्त कर आरोपणीय था|

2. व्यौव्हारी सर्वश्री रोहिणी फूड्स प्रोडक्ट बाजपुर कर निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा संगत वर्ष में राइस ब्रान की बिक्री ₹ 43,13,544/- फॉर्म – 11 के विरुद्ध 2% की दर से की गई थी तथा व्यौव्हारी सर्वश्री धनलक्ष्मी फूड्स बाजपुर कर निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा संगत वर्ष में ₹ 2373846/- की राइस ब्रान की बिक्री फॉर्म -11 के विरुद्ध 2% की दर से की गई थी| इस प्रकार दोनों प्रकरणों में कुल ₹ 6687390/- की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 1% से ₹ 66,874/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर बिंदु संख्या 01 में नियमानुसार जांचोपरांत कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया बिंदु संख्या 02 के सन्दर्भ में बताया गया कि संदर्भित कर निर्धारण आदेश की विवेचना में अधिकारी द्वारा स्वयं ही 3 % की दर से कर आरोपित किया गया है। कंप्यूटर मिस्टेक से 2% की दर से कर आरोपित हो गया है। भूल सुधार करते हुए अविलम्ब अवगत करा दिया जायेगा|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर सं-02 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 4.20 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत किसी व्यौवाहरी ने युक्ति – युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –IV राज्य कर, काशीपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री कोसी मिनरल्स एण्ड स्टोन क्रेशर, बाजपुर द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि ₹42,00,000/- को विलंब से जमा किया गया था| (विवरण संलगन)

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत न्यूनतम 10% की दर से नियामानुसार ₹4,20,000/- का अर्थदण्ड अरोपणीय था जो आरोपित नहीं किया गया था|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरांत कार्यवाही का आश्वासन दिया गया जिसकी सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्र स.	व्यौव्हारी का नाम / टिन स.	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि (₹में)	आरोपनीय अर्थदण्ड (₹में)
1.	**सर्वश्री कोसी मिनरल्स एंड स्टोन क्रेशेर, बाजपुर टिन : 05013569937**	2015-16	04/2015	03.06.2015	414000	41400
			04/2015	25.05.2015	200000	20000
			05/2015	26.06.2015	455000	45500
			06/2015	28.07.2015	628000	62800
			07/2015	24.08.2015	546000	54600
			08/2015	24.09.2015	370000	37000
			11/2015	29.12.2015	385000	38500
			01/2016	25.02.2016	500000	50000
			02/2016	30.03.2016	702000	70200
Total					**4200000**	**420000**

भाग 2(ब)

प्रस्तर स-03 कर का अनारोपण ₹ 6.16 लाख|

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(e) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री पर करदेयता 13.5% की दर से निर्धारित की गयी थी|

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क. नि.) –IV राज्य कर, काशीपुर के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाच में पाया गया कि व्यौवहारी सर्वश्री कॉन्टीनेन्टल अर्थमूवर्स, बाजपुर कर निर्धारण वर्ष 2015-16 द्वारा संगत वर्ष में फॉर्म – 16 के माध्यम से Auto Parts, Essences, crane parts का क्रय प्रान्त बाहर से कुल ₹ 5506684/- का किया गया था| चूंकि उक्त वस्तुए उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं थी अत: उक्त वस्तुए आर्गिकृत की श्रेणी में होने के कारण इन वस्तुओ पर 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा|

पत्रावली की आगे लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया की व्यापारी द्वारा अपने वार्षिक विवरणी (Annual Return) में अवर्गीकृत वस्तुओ की बिक्री कुल ₹ 9,38,326/- की प्रदर्शित की है तथा अवर्गीकृत वस्तुओ का अंतिम रहतिया भी ट्रेडिंग अकाउंट, कर का निर्धारण आदेश एवं वार्षिक विवरणी में शून्य प्रदर्शित की है| अत: शेष अवर्गीकृत वस्तुओ कुल ₹4568358/- की बिक्री पर 13.5 % की दर से ₹ 6,16,728/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा|

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापारी द्वारा प्रान्त बाहर से Earthmovers parts, liftfall की खरीद करते हुए ₹ 9,38,326/- की liftfall की 13.5% की दर से बिक्री की गयी है| जिस पर नियमानुसार कर आरोपित किया गया है तथा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत लेखा-पुस्तकों का गहन जांचोपरांत Earthmovers parts की बिक्री के पश्चात शेष बचे हुए माल को जो कि Earthmovers Parts बचे थे को नियमानुसार अंतिम स्टॉक में प्रदर्शित किया गया है| यह भी अवगत करना है कि किसी प्रकार से राजस्व की हानि नही होने दी गयी है क्योंकि व्यापारी के समस्त लेखा-पुस्तिका / विवरण पत्रों की गहनशील जाँच मेरे द्वारा स्वयं की गयी है|

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि व्यापारी द्वारा अपने फॉर्म – 16 डिक्लेरेशन शीट में प्रान्त बाहर से मंगाई गयी वस्तुओ में अवर्गीकृत वस्तुए जैसे Auto parts, Essence, Crane Parts का आयात किया था तथा उन वस्तुओ को व्यापारी द्वारा अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंतिम रहतिया में भी दर्शाया नहीं गया था| अत: उक्त वस्तुओ पर 13.5 % की दर से कर आरोपणीय होगा|

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
CT-138/2017-18		01,02,03	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-IV, राज्य कर, काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री योगेश कुमार मित्तल	उपायुक्त (क.नि.)-IV रा.क. काशीपुर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)-IV, राज्य कर, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र